



**S.K.N. AGRI-BUSINESS INCUBATOR (S-ABI), JOBNER**  
**SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY**  
**Dist. Jaipur, PIN 303329**

No. F. ()/Store/Tender/RKVY/S-ABI/2024-25/77

Date: 09.10.2024


**NOTICE INVITING LIMITED TENDER**

Sealed quotations are invited from the reputed Agency vehicle/owner to hire vehicle for Due diligence and to attend the meeting purpose. The quotation will be accepted up to 16/10/2024 (11.00AM) and will be opened on the same day at 11.30 PM by the tender opening committee of the SKNCOA, Jobner.

क.सं.	विवरण	दर रुपये प्रति किलोमीटर GST सहित	
		गाड़ी का प्रकार	AC
1.	श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री बिजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर के स्टाफ को ड्यू डिलिजेंस व मीटिंग्स पर ले जाने हेतु एक वर्ष की अवधि या अनुमानित राशी ₹ 1.10 लाख के पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिये किया जाना है। अतः टैक्सी वाहन किराये पर प्रति किलो मीटर दर पर उपलब्ध करवाने बाबत।	1. स्विफ्ट डिजायर	


**आवश्यक शर्तें:-**

1. वाहन मालिक को निविदा की 2 % धरोहर राशि के रूप में PRINCIPAL INVESTIGATOR SKN AGRI BUSINESS INCUBATOR JOBNER, के नाम से D.D. जमा करना होगा।
2. गाड़ी का मन्टीनेस एवं चालक परिचालक का खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन किया जायेगा।
3. गाड़ी का चार्ज प्रति किलो मीटर उपयोग के आधार पर ही दिया जायेगा। गाड़ी नहीं चलने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जायेगा। रात्रि ठहराव अलग से देय नहीं होगा।
4. गाड़ी के समस्त कागजात पूर्ण होना अनिवार्य है।
5. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टैक्सी नंबर में होना चाहिए।
6. गाड़ी में बैठने हेतु सीटें आरामदायक होनी चाहिए।
7. चालक एवं परिचालक का वर्दी में होना अनिवार्य है तथा इनका दैनिक खर्चा वाहन मालिक का होगा।
8. गाड़ी को श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री बिजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर में उपलब्ध करवानी होगी।
9. निविदा को निरस्त एवं स्वीकार करने का अधिकार परियोजना प्रभारी श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री बिजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर के पास होगा।
10. मार्ग में गाड़ी खराब होने पर दूसरा वाहन समय पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
11. चालक को ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाड़ी के कागजात (R.C./परमिट इत्यादि) दस्तावेजों की प्रति कोटेशन के समय सलंगन करनी होगी एवं यात्रा के समय समस्त दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा।
12. समस्त टोल टैक्स एवं अन्य वाहन सम्बंधी चार्ज मालिक का होगा।
13. वाहन गत पाँच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
14. दरें कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष की अवधि या अनुमानित राशी ₹ 1.10 लाख के पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के लिए मान्य रहेगी।
15. निविदा प्रस्तुत करते समय वाहन मालिक को अधिकृत फर्म के लेटरहेड पर निविदा को जमा करवाना होगा।
16. राज्य सरकार का जारी COVID -19 की मार्गदर्शन अनुसार मास्क, सेनाटाइजर, इत्यादि का उपयोग व पालना वाहन मालिक को स्वयं वहन एवं क्रियान्वित करना होगा।
17. सफल निविदा दाता को ₹50 के Notary Attested Stamp शपथ पत्र पर सलंगन अनुबंध निविदा की शर्तों के साथ जमा करवाना होगा।

  
Principal Investigator

Copy forwarded to the following for information and necessary action: -

1. The Comptroller, SKNAU, Jobner.
2. The Convener/ Member/Tender Committee, SKNAU, Jobner.
3. In charge, of CIMCA, SKNAU, Jobner with the request to upload the tender notice on the university website and State Public Procurement Portal.
4. Incharge Accounts/Store Incharge, SKNAU, Jobner.
5. Notice Board-office/Guard File.

  
Principal Investigator

## अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध-पत्र ..... , पुत्र श्री ..... , जाति ..... ,  
निवासी ..... , तहसील ..... , जिला ..... , राजस्थान (प्रथम  
पक्ष) वाहन मालिक/सेवा प्रदाता एवं श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री विजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर (द्वितीय पक्ष) के बीच  
संपन्न हुआ है, जो दिनांक ..... से प्रभावी माना जाएगा। यह अनुबंध श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री विजनस  
इनक्यूबेटर, जोबनेर के कार्यादेश क्रमांक No. F. ()/RKVY/S-ABI/2024-25/77 Date:09.10.2024  
के अनुसार किया गया है।

प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंधित वाहन (मॉडल वर्ष ..... , रजिस्ट्रेशन संख्या ..... ) को द्वितीय पक्ष के  
वाहन कार्यालय उपयोग के लिए नियुक्त किया है।

### अनुबंध की शर्तें:

1. वाहन और वाहन चालक से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र आदि की देखभाल और अद्यतन रखने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
2. विभिन्न स्थानों पर यात्रा के दौरान होने वाले टोल शुल्क का भुगतान एवं अन्य वाहन सम्बंधी चार्ज मालिक का होगा।
3. वाहन के प्रारंभिक किलोमीटर और समय की गणना इयूटी पॉइंट से शुरू की जाएगी।
4. प्रथम पक्ष को वाहन उपयोग के लिए बिल और सत्यापित लॉगबुक आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी।
5. द्वितीय पक्ष को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, जिसके लिए 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा।
6. भुगतान केवल बैंक के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सभी लागू कर और कटौतियां शामिल होंगी। कटौती के उपरांत द्वितीय पक्ष द्वारा आयकर प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
7. अनुबंध से संबंधित सभी देनदारियों की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
8. अनुबंध के किसी भी बिंदु के उल्लंघन की स्थिति में अंतिम निर्णय परियोजना प्रभारी श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री विजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर (द्वितीय पक्ष) का होगा।

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रथम पक्ष:  
( )  
तिथि:

द्वितीय पक्ष:  
( )  
तिथि: